

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर (राज.)

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती वर्ष 2022 के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22/दिनांक-02-09-2023 व दिनांक 07.09.2023 एवं 08.09.2023 के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों (गैर अनुसूचित क्षेत्र) को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने पर दिनांक 08.09.2023 को स्थानीय कार्यालय में आयोजित परामर्श शिविर में सहमति के आधार पर संलग्न सूची में विवरणांकित पात्र अभ्यर्थियों को **तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षा अध्यापक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (प्रतिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। प्रतिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेड्यूल IV के प्रावधानानुसार वेतन **लेवल-10 में नियत मानदेय रु. 23700/-** (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। परीविक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

सम्बंधित संस्था प्रधान/पीईईओ इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/ के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो कार्यग्रहण करवाने वाले संस्था प्रधान/पीईईओ के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Bheera Ram
Designation: District Education
Officer

Date: 2023.09.09 10:58:29 IST

Reason: Approved



2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी /ए-11/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे ।
5. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो सेट प्राप्त करे एवं 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि- “यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में मेरी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।”
6. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
7. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
8. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में शैक्षणिक वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
9. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान की जा रही है। इस नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे कि- “यदि इनकी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होने अथवा किसी भी स्तर पर जांच में अमान्य पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव निरस्त की जा सकेगी।”
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो। यदि किसी भी स्तर पर जांच में नियुक्ति उपरान्त भी यह प्रमाण पत्र अमान्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं

Signature valid

Digitally signed by Bheera Ram
Designation: District Education
Officer

Date: 2023.09.09 10:58:29 IST

Reason: Approved



नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।

12. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण—पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। आरक्षित वर्ग की समस्त महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
13. कार्मिक क-2 विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार “ भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जायेगा। इस श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित कार्मिक का सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवाभिलेख में संकलित किया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 29.09.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने अभ्यर्थियों पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के मूल आवेदन संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ द्वारा इस कार्यालय को वाहक स्तर पर पुनः लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

सलग्न सूची -10 अभ्यर्थी

(भेराराम)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

Signature valid

Digitally signed by Bhera Ram
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.09.09 10:58:29 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली मण्डल,पाली।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक,जालोर
9. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला-जालोर को प्रेषित कर लेख है कि आपके ब्लॉक में नियुक्त अभ्यर्थियों के निदेशालय द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पत्र वाहक स्तर पर स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधानों को अभ्यर्थी के कार्यग्रहण से पूर्व तत्काल सुपुर्द करे।
10. सम्बंधित प्रधानाचार्य/पीईईओ/.....
11. सम्बंधित आशार्थी.....
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/विभागीय वेबसाईट
13. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

Signature valid

Digitally signed by Bheera Ram
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.09.09 20:58:29 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

क्रमांक: जिशिक्ष/मुख्या/मा/जालोर/संस्था/सीप पीईटी-22/2023/190 दिनांक: 09.09.2023

Sr NO	ROLLNO	वसिना श्रेणी	Only Counselling Degree	Only Counselling Sports	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	नियुक्ति परस्थापन स्थान	ब्लॉक	जिला	फोटो अपर्यर्षी
1	709998	एकल महिला	—	—	2781	MADHURI SUTHAR	RAMJEEWAN SUTHAR	20-Feb-00	Female	OBC	—	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PIPARLA DHANI (473918)(08180105901)	AHORE	JALOR	
2	717734	सामान्य पुरुष	—	—	961	CHETAN PUROHIT	VAJINGA RAM	02-Oct-95	Male	GEN-EWS	—	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RODO KI DHANI (487595)(08180402511)	BHINMAL	JALOR	
3	729646	सामान्य पुरुष	—	—	1683	RATANA RAM	BHOLA RAM	15-Jun-95	Male	MBC	—	MBC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BETARNA (473693)(08180707201)	JASWANTPURA	JALOR	
4	737524	सामान्य पुरुष	—	—	1686	PRAKASH	LACHHA RAM	01-Oct-90	Male	SC	—	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHURA (221122)(08180202408)	JALORE	JALOR	
5	705392	सामान्य पुरुष	—	—	1955	KARAM VEER SINGH	LAXMAN SINGH	07-Jul-88	Male	GEN-EWS	—	GEN-EWS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARTA (213629)(08180400801)	BHINMAL	JALOR	
6	750627	सामान्य पुरुष	—	—	2676	KAMLENDRA SINGH RATHORE	HEER SINGH RATHORE	20-Aug-90	Male	GEN-EWS	—	GEN-EWS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAOTA (221065)(08180102201)	AHORE	JALOR	

Signature valid

Digitally signed by Bheera Ram Designation: District Education Officer Date: 2023.09.09 20:58:29 IST Reason: Approved

Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4687322



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

क्रमांक: जिशिअ/मुख्या/मा/जालोर/संस्था/सीप पीईटी-22/2023/190 दिनांक: 09.09.2023

Sr NO	ROLLNO	वर्ग/वर्ग श्रेणी	Only Counselling Degree	Only Counselling Sports	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	नियुक्ति पदस्थान स्थान	ब्लॉक	जिला	फोटो अप्रयुक्त
7	739204	सामान्य पुरुष	—	—	2801	PADMA RAM DEVASI	DEVA RAM DEVASI	28-Sep-98	Male	MBC	—	MBC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KOLAR (473689)(08180707401)	JASWANTPURA	JALOR	
8	741293	सामान्य पुरुष	—	—	4725	MANISH TAK	DUNGAR MAL	07-Dec-93	Male	SC	—	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TIKHI (213617) (08180305901)	SAYLA	JALOR	
9	725078	सामान्य पुरुष	—	—	5213	SURAJ KUMAR	SATYA NARAYAN	07-Jul-91	Male	SC	—	SC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SEDARIYA KUPAVATAN (413552)(08180206501)	JALORE	JALOR	
10	721190	सामान्य पुरुष	—	—	5219	VIKRAM SINGH	VISHAN LAL	22-Dec-88	Male	SC	—	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL G.S.S.S.AGWARI (221064)(08180102106)	AHORE	JALOR	

(मेराराम)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

Signature valid

Digitally signed by Bheera Ram
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.09.09 20:58:29 IST
Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4687322

